

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी0सी0-12वी0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

विज्ञापन सं0- G47295/ए0एस0कैम्प(110)/2026

दिनांक- 27.02.2026

सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2026

ऑनलाइन आवेदन एवं रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	28.02.2026(समय 11:00 बजे पूर्वाह्न)
ऑनलाइन आवेदन एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	28.03.2026(समय 06:00 बजे अपराह्न)

1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहायक पर्यावरण अभियंता पे-मैट्रिक्स लेवल-10 के 26 अस्थायी पदों एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पे-मैट्रिक्स लेवल-10 के 14 अस्थायी पदों पर भर्ती के सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। इन पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	पद का नाम	पे-मैट्रिक्स लेवल	कुल पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1.	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	पे-मैट्रिक्स लेवल-10	26	11	07	06	00	02
2.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	पे-मैट्रिक्स लेवल-10	14	06	04	03	00	01

क्षैतिज आरक्षण - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित पदों हेतु जारी अद्यतन आदेशों के अनुरूप अनुमन्य होगा।

2. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना:-

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

- 2.1 आवेदन हेतु सामान्य निर्देश :-

- (i) इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in पर **सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2026** के लिंक के माध्यम से ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। लिंक पर उपलब्ध पंजीकरण एवं आवेदन फार्म को भरने के निर्देश उपलब्ध हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपूर्ण अथवा असत्य सूचना के आधार पर आवेदन अस्वीकृत किए जाने का अधिकार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होगा।

- (ii) किसी प्रकार की असुविधा, भीड़ या आकस्मिक कठिनाईयों से बचने के लिये अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करें।
- (iii) अभ्यर्थी अपने भरे गये आवेदन फार्म के पृष्ठ की प्रति प्रिन्ट करके अपने भविष्य के सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख ले। उन्हें आवेदन फार्म के प्रिन्ट, शैक्षिक योग्यता, जाति एवं अन्य अभिलेखों के पुष्टिकरण हेतु अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ आदि अभिलेख सत्यापन के समय या जब उनसे माँगा जाये प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने के बाद अपने अभ्यर्थन वापसी का कोई अनुरोध किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in पर **सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2026** के लिंक पर आवेदन की अन्तिम तिथि के उपरान्त उपलब्ध होंगे एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि समय-समय पर उक्त वेबसाइट एवं लिंक का अवलोकन करते रहें।
- (v) कृपया ध्यान रखे कि अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये अन्तिम ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियाँ, जिसमें आवेदक का नाम, आवेदित पद, जाति वर्ग, जन्म तिथि, पता, ई-मेल आईडी0 एवं मोबाइल नं0 इत्यादि भी सम्मिलित है, को अन्तिम माना जायेगा।
- (vi) निर्धारित शुल्क तथा आवश्यक अभिलेख एवं सूचनाएं, जो कि भर्ती प्रक्रिया में दी गई है, के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (vii) अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन पूर्णतः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

3. आवेदन शुल्क :-

परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	आवेदन शुल्क (₹0 में)
1	अनारक्षित	2,000
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	2,000
3	अनुसूचित जाति	1,000
4	अनुसूचित जनजाति	1,000
5	दिव्यांग श्रेणी	शून्य

- नोट-** (1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक-1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- (2) आवेदन शुल्क के अतिरिक्त बैंक चार्जज का वहन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
 - (3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in पर **सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2026** के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाए।
 - (4) आवेदन शुल्क का एक बार भुगतान हो जाने पर यह न तो वापस/स्थानान्तरित किया जायेगा न ही भविष्य में होने वाली किन्हीं नियुक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।
 - (5) आवेदन फीस के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/चेक/मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर/बैंकर चेक/पोस्टल स्टाम्प आदि स्वीकार नहीं किये जायेगा।

(6) सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा।

4. अनिवार्य अर्हता :-

4.1 शैक्षणिक एवं अनुभव -

(क) सहायक पर्यावरण अभियंता के पद हेतु -

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन अभियांत्रिकी/रसायन प्रौद्योगिकी/सिविल अभियांत्रिकी/पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता के अंतर्गत केवल इन्स्टीट्यूट्स ऑफ इन्जीनियर्स इण्डिया का केमिकल इन्जीनियरिंग, सिविल इन्जीनियरिंग, पर्यावरण इन्जीनियरिंग ब्रान्च का एक अर्ह एसोसिएट मेम्बर (ए0एम0आई0ई0) मान्य होगा।)

(ख) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु -

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में डाक्टरेट उपाधि या सरकार द्वारा उसके *समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव,

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके *समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।

*समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के अंतर्गत केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा रसायन शास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में डाक्टरेट उपाधि या रसायन शास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि)

4.2 आयु सीमा :-

(1)- दिनांक 01 जुलाई, 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिये। अभ्यर्थियों की आयु की गणना हेतु हाई-स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

(2)- उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(3)- भूतपूर्व सैनिकों (Ex. Serviceman) जिन्होंने कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो, को सेवाकाल + 03 वर्ष (अधिकतम 15 वर्ष) की छूट प्रदान की जायेगी। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(4)- दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

5. आरक्षण –

उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों, आरक्षण के सम्बन्ध में विवरण ऊपर अंकित पैरा-1 में अंकित है।

नोट– अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण में लाभ के लिए उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही स्वीकार्य होगा। आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करें।

6. चयन की प्रक्रिया :-

अभ्यर्थियों का चयन कम्प्यूटर आधारित टेस्ट / Computer Based Test (CBT) तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर चयन “उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत होंगे।” कम्प्यूटर आधारित टेस्ट / Computer Based Test (CBT) परीक्षा हेतु तिथि के सम्बन्ध में सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.uppcb.up.gov.in पर **सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा – 2026** के लिंक उपलब्ध होगी। चयन के लिए कुल 470 अंक होंगे।

6.1 परीक्षा दो चरणों में निम्नानुसार होगी –

क. प्रथम चरण – कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) वस्तुनिष्ठ प्रकार की 400 अंको की होगी। परीक्षा के विषय, अधिकतम अंक, निगेटिव अंक और दिया गया समय निम्नानुसार होगा :-

(A) सहायक पर्यावरण अभियंता के पद हेतु-

क्रम संख्या	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	इन्वॉयरमेंटल इंजिनियरिंग (बी-टेक / बीई स्टैन्डर्ड)	70	280	120 मिनट
2	जनरल एप्टिट्यूड	30	120	
	योग-	100	400	

(B) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु-

क्रम संख्या	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	इन्वॉयरमेंटल साइंसेस (अंडर ग्रेजुएट स्टैन्डर्ड)	70	280	120 मिनट
2	जनरल एप्टिट्यूड	30	120	
	योग-	100	400	

(i) प्रत्येक प्रश्न के कुल 04 (चार) विकल्प होंगे। सही उत्तर के लिये 04 (चार) अंक, गलत उत्तर के लिये 01 (एक) निगेटिव अंक और बिना प्रयास वाले प्रश्नों के लिये 0 (शून्य) अंक होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी में उपलब्ध होगा तथा प्रश्न की व्याख्या के विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा।

(ii) कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) अंको के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जायेगी जिससे साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को नियमानुसार बुलाया जायेगा।

(ख) द्वितीय चरण साक्षात्कार – 70 (सत्तर) अंको का होगा।

6.2 चयन – उपरोक्त वर्णित 470 अंको के आधार पर मेरिट सूची विद्यमान नियमों/विनियमों के प्राविधानों के अनुसार बनाई जायेगी एवं तदानुसार चयन किया जायेगा।

7. अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अनुदेश –

- (1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- (2) अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन करेगा उसका उसी श्रेणी का आरक्षण लाभ दिया जायेगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन, तथा महिला अभ्यर्थियों, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- (4) भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र, जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने मात्र के आधार पर लाभ की मांग की गयी है, मान्य नहीं होगा।
- (6) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- (8) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मांगें जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
- (9) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- (10) अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (11) अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण में लाभ के लिए उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही स्वीकार्य होगा। आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना मान्य होगा।
- (12) किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस विज्ञापन की परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- (13) आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (14) जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (15) अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश दिया जाएगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि नियुक्ति भी कर दिया हो तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (16) आवेदक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पृथक से आवेदन की हार्ड कापी भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय हार्ड कापी की एक प्रति अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा।
- (17) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य एवं अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवेहलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- (18) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा तथा परीक्षण रिपोर्ट कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (19) अभ्यर्थी के पास दिनांक-28.02.2026 को समस्त वाँछित अर्हता होना अनिवार्य है।
- (20) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिये उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वे संतुष्ट हो जाये कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- (21) किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी का होगा।
- (22) किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।